



RCMS/2018/00167

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री गणेश शंकर पिता गौरी शंकर ब्राह्मण, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर	बनाम	श्री अम्बालाल पिता सुखदेव जीनगर, निवासी खरताणा, तहसील मावली जिला उदयपुर व अन्य
---	------	--

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 147 सन 2018 अपील

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.04.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोंडेंट संख्या-1 उपस्थिति।</p> <p>वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अपील विद्दो बाबत पेश किया जिसकी प्रति वकील रेस्पोंडेंट को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि अपीलार्थी ने उक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 368 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई थी। नामान्तरकरण संख्या 368 जिस निर्णय एवं छिन्नी की पालना में स्वीकृत किया गया है, वह निर्णय एवं छिन्नी दिनांक 24.06.1986 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली द्वारा अपास्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में प्रभावी नहीं रहती है, अतः अपीलार्थी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील को उपरोक्त कारणों से विद्दो करना चाहता हूँ। अपने कथन के समर्थन में अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली निर्णय दिनांक 26.03.2019 की प्रति पेश की।</p> <p>चुंकि अपीलार्थी न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली के परिपेक्ष्य में न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत अपील को विद्दो करने का निवेदन किया है एवं उक्त आदेश से अपील निष्प्रभावी हो चुकी है, अतः अधिवक्ता अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्दो स्वीकार किया जाता है एवं अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p><i>M</i></p>	